न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, कासगंज।

पीठासीन अधिकारी–अनुतोष कुमार शर्मा (एच0जे0एस0) I.D No-UP6218

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–316/2026

(CNR N0-UPKR01000559-2026)

आरेन्द्र यादव पुत्र नत्थू सिंह निवासी कुमरौआ थाना सोरों जिला कासगंज।

बनाम

1–उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता''फौजदारी'' जिला कासगंज।

2–प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थ तौमर थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज।

अपराध संख्या–641/2022
धारा–147,148,323,332,353,504,506,333,188,336,427 भा0दं0सं0
व धारा 7 क्रिमि. लॉ. अमे. एक्ट,
व धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
थाना–कासगंज, जिला–कासगंज।

07.03.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त आरेन्द्र यादव की ओर से अपराध संख्या–641/2022 धारा–147, 148, 323, 332, 353, 504, 506, 333, 188, 336, 427 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमि. लॉ. अमे. एक्ट व धारा 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम ,थाना–कासगंज, जिला–कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा सिद्धार्थ तौमर द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त है। आज दिनांक 26.09.2022 को थाने पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पाण्डेय, सुजीत पाण्डेय, सत्यदर्शी पाण्डेय, आशीष पाण्डेय निवासीगण गढी हरनाठेर थाना ढोलना जनपद कासगंज व उनके साथ आरेन्द्र यादव ग्राम कुमरौआ थाना सोरों, प्रवीन शर्मा निवासी शोबत भूड, अनार सिंह, सुधीर मिश्र निवासी सिढपुरा, दीपक निवासी ओमघाट, एटा, राजू पुत्र कौशल ग्राम कडौल थाना ढोलना, जगत बघेल प्रधान निवासी खुशहालपुर नगला, श्यामवीर चौहान निवासी लोहर्रा, हरी प्रताप साहू, रामखिलाडी अमर सिंह, बृजेश कुमार यादव, रहीस खान, यशपाल सिंह, सुरेन्द्र यादव, बबलू बघेल, पुष्पेन्द्र दीक्षित, रामखिलाडी निवासीगण अज्ञात, सन्तोष निवासी होडलपुर थाना सोरों जनपद कासगंज, दुरमीन पुत्र राम सिंह, यशपाल पुत्र राम सिंह, सतीश पुत्र रामवीर सिंह, देवेन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी गुमानी नगला थाना कासगंज, देवेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र, रामवीरेश पुत्र बांकेलाल, प्रेम सिंह पुत्र बांकेलाल, राजेश पुत्र रामनिवास, अवधेश पुत्र शंकर निवासी नोरथा थाना कासगंज जनपद कासगंज, वलराम निवासी मौ० चौधरियान थाना सोरों जिला कासगंज, सत्यप्रकाश पुत्र प्रेम सिंह व वालकिशन पुत्र रामलाल निवासी सियारपुर थाना सोरों जिला कासगंज, राजेन्द्र राठौर निवासी मोहनपुरा थाना व जिला कासगंज, सतेन्द्र यादव निवासी सुल्तानपुर थाना सोरों जिला कासगंज, तरुण शर्मा एटा, अनिल शास्त्री निवासी भूपाल गढी थाना ढोलना जिला कासगंज, देवेन्द्र उर्फ पिन्टू नौरथा थाना व जिला कासगंज, वीरेश पुत्र लशकरी निवासी कुमरौआ थाना सोरों जिला कासगंज, अवधेश यादव निवासी बिलराम थाना ढोलना जिला कासगंज, संदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी कुतकपुर कासगंज, नीटू पुत्र चंदन निवासी बिलराम, सादाब पुत्र रफीक निवासी पीरछल्ला थाना व जिला कासगंज, वच्चन यादव निवासी बिलराम थाना ढोलना जिला कासगंज, राकेश गोला निवासी सहावर, अजमत पुत्र चाहत सहावर जिला कासगंज, विक्की ठाकुर, आदर्श मिश्र, दीपक पंडित व करीब 150 किसान के द्वारा दिन में करीब 11:30 बजे से थाना परिसर पर अपनी मांग मनवाने के लिये उग्र धरना प्रदर्शन सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुये किया जा रहा था जिसके

Digitally signed by ANUTOSH KUMAR SHARMA
Date: 2026.03.07 16:07:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बन्ध में कन्ट्रोल रूम को बताया गया तथा उच्चाधिकारीगण को सूचना दी गयी थी। धरना प्रदर्शन दे रहे किसानों को बार–बार समझाया जा रहा था, लेकिन उग्र होकर नारे बाजी करना, पुलिस प्रशासन व जनपद के उच्चाअधिकारियों को गाली गलौज की जा रही थी जिससे थाने पर शिकायत लेकर आने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी रोष प्रकट किया जा रहा था। इनके द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन से बिलराम गेट चौराहे से बारहद्वारी तक अफरा तफरी व जाम की स्थिति हो गयी थी, जिसको लेकर बाजार बन्द होना शुरु हो गया और आम जनमानस परेशान हो गये। जिससे आम जनता के लोग परेशान होकर शिकायत करने लगे।इस बात पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोग थाना गेट पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते रहे जिसके विरोध में स्थानीय जनता के लोग आ गये और थाना गेट पर धरना हटाने के लिये प्रदर्शनकारियों व आम जनता के व्यक्ति भी मौके पर आ गये, जिनके साथ मारपीट आपस में हो गयी, सड़क पर अफरातफरी का माहौल हो गया भगदड़ मच गयी, जिसको नियन्त्रित करने के लिये पुलिसबल द्वारा स्थिति को शांत करने के लिये हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, उसके उपरान्त भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस बल पर लाठी डण्डों व गाली गलौज का प्रयोग करते हुये व जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट की गयी तथा थाने में 112 कन्ट्रोल रूम का शीशा तोड़ दिया गया और प्रभारी निरीक्षक आवास के दरवाजे तोड़ दिये गये। प्रभारी निरीक्षक कार्यालय की मेज का शीशा तोड़ दिया गया व महिला हेल्प डेस्क में तोड़ फोड़ मचाई गयी और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी। मारपीट में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुये हैं और उनके द्वारा किये जा रहे कृत्य से आम जनमानस भयभीत है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

3– जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क लिये गये हैं कि प्रार्थी को उपरोक्त अपराध में झूठा फसा दिया गया है, वह कतई निर्दोष है। प्रार्थी का अवर न्यायालय से खारिज होने के बाद यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। अवलोकन हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न जमानत प्रार्थना पत्र है जिसमें प्रार्थी पर आरोप लगाया है कि प्रार्थी व अन्य लोग अपनी माँगें मनमाने के लिये थाना परिसर के बाहर नारेवाजी कर रहे थे और गाली गलौज अधिकारियों को दे रहे थे। धरना प्रदर्शन से बिलराम गेट चौराहे से बारद्वारी तक अफरा तफरी व जाम की स्थिति हो गयी जिससे जनता के लोग परेशान होना शुरु हो गया। धरना हटाने के लिये आम जनता के व्यक्ति भी मौके पर आ गये तो उनमें आपस में मारपीट हो गयी भगदड़ मच गयी। जिसको नियंत्रित करने के लिये पुलिस बल द्वारा स्थिति को शांत करने के लिये हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। प्रार्थी ने उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह कथित घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उसको मात्र द्वेष भावना व राजनैतिक पार्टीबन्दी के आधार पर उपरोक्त अपराध में पैसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना थाना परिसर के बाहर की है और काफी जनता के लोगों का आना जाना दर्शाया गया है और मारपीट होना बताया है इसके बावजूद घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाह नहीं है सारे गवाहान पुलिस वाले है जो हितबद्ध साक्षी है। कथित घटना की रिपोर्ट काफी देरी से दर्ज करायी गयी है। उसकी मौके से कोई गिरफतारी नहीं हुयी है। पुलिस ने अपना झूठा गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट दर्ज की गयी है। वह किसी अपराध में सजायाफ्ता नहीं है। मारपीट आदि के संबन्ध में कोई मेडीकल आदि नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास इस प्रकार है मु०अ०सं०– 736/2012 धारा– 323, 325, 427, 452, 504, 506 आई०पी०सी० थाना सोरों व अ0सं0 – 182/2015 धारा 147, 323, 324, 325 आई०पी०सी थाना सोरो व अ0सं0–87/2016 धारा 323, 504, 506 आई०पी०सी० थाना सोरों व अ0सं0–182/2018 धारा 147, 323, 336, 504 आई०पी०सी० थाना सोरों व अ0सं0– 52/2019 धारा 147, 148, 323, 336, 506 आईपीसी थाना सोरों व अ०सं० – 75/2022 धारा 147, 323, 34, 427, 504, 506 30 पी०सी० थाना सोरों व अ०सं० 111/2022 धारा 147, 149, 323, 336, 34, 427, 504,506 आई०पी०सी० व 7 सी०एल०ए०एक्ट थाना सोरो व अ0सं0–142/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 आईपी०सी० थाना

सोरों, अ0सं0– 247/2022 धारा 147, 148, 149,4 308, 336, 354, 323, 504, 506 आई०पी०सी० व अ0सं0– 529/2022 धारा 147, 148, 149, 307, 354, 323, 504 आई०पी०सी० थाना सोरो व अ०सं०– 466/2023 धारा–323, 341, 504, 506 आई०पी०सी० थाना सोरों व अ०सं० 498/2025 धारा 115 (2), 191(2), 333, 351 (3), 76 बी०एन०एस० थाना सोरों व अ0सं0 512/2025 धारा–109 (1) 127(2), 191(2), 308(2), 308(5), 351(3), 352 बी०एन०एस० थाना सोरों जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्वैश कर दिया गया है व मु० अ0सं0 642/2022 धारा–147, 188, 307, 504, 506, 120 बी आई०पी०सी० व 7 सी०एल०ए०एक्ट थाना कासगंज। वह दिनांक 20.02.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है और जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और नियत दिनांक पर आता रहेगा। उसको दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर घातक हथियारों से लैस होकर थाना परिसर का घेराव कर अमर्यादित भाषाओं को प्रयोग करते हुये बल्बा कारित किया तथा नारेबाजी करते हुये पुलिस बल पर लाठी डन्डों का प्रयोग करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट की तथा सरकारी सम्पत्ति की तोड़फोड़ करते हुये सरकारी कार्य में बाधा पहुॅचाई। अभियुक्त व सहअभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट में कई पुलिस वाले गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। अभियुक्त को पूर्व सजायाफ़्ता व्यक्ति है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर घातक हथियारों से लैस होकर थाना परिसर का घेराव कर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुये बल्वा कारित करने तथा नारेबाजी करते हुये पुलिस बल पर लाठी डन्डों से हमला करने, जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट किये जाने तथा 112 कन्ट्रोल रूम व प्रभारी निरीक्षक की मेज का शीशा एवं आवास के दरवाजे एवं हेल्प डेस्क को तोड़ने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुॅचाने के अभियोग हैं, जिससे अनेक पुलिस कर्मी घायल हो गये तथा मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। केस डायरी पर कुल 16 पुलिस कर्मियों की इंजरी रिपोर्ट संलग्न हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों को साधारण व गम्भीर उपहतियॉ आना दर्शित हैं। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध रूप से विधि विरूद्ध जमाव गठित कर सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने, राजकीय कार्य में बाधा पहुॅचाते हुये 16 पुलिस कर्मियों को स्वेच्छया उपहति पहुॅचाये जाने का गम्भीर आरोप है। अभियुक्त का इस मुकदमे के अतिरिक्त 15 अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त न करते हुये अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त आरेन्द्र यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2,
कासगंज
07.03.2026